

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कं./बोर्ड कार्मिक/ख/अनु.नि./727-पार्ट-1/5176 भोपाल दिनांक 21/06/2021  
प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
ऑचलिक कार्यालय, भोपाल, जबलपुर,  
सागर, खालियर, इंदौर, उज्जैन, झेंडा।
2. कार्यपालन यंत्री,  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
तकनीकी संभाग, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर,  
खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, खालियर, मुरैना,  
जबलपुर, सिवनी, सागर, रीवा।

विषय :- कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्क के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र कं./बोर्ड कार्मिक/ख/अनु.नि./727-पार्ट-1/5836 दिनांक  
11/06/2021

उपरोक्त विषयांतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्क के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा आपको परिपत्र उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 21.06.2021 को प्रबंध संचालक मुद्देदय द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग की बैठक के दौरान दिये गये निर्देश के पालन में म.प्र. शास्त्र, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ज्ञाप कं./ सी-3-12/2013/1/3 दिनांक 28.05.2021 की छायाप्रति पुनः संलग्न।

अतः इस परिपत्र के तहत आपके ज्ञान अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा के अधिकारी / कर्मचारियों की ग्रामसमिक मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट [www.gad.mp.gov.in](http://www.gad.mp.gov.in) से डाउनलोड कर, उक्त ज्ञाप में निर्देशानुसार कोविड-19 के तहत अनुकम्पा नियुक्ति के प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित दिनांक 30.06.2021 तक उपलब्ध कराया जावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार<sup>(निम्नलिख)</sup>  
(प्रै. एस. वी. महेंद्र द्वारा निर्दिष्ट)

21.6.21  
(डॉ.एस.वी.सिंह)  
अपर संचालक (कार्मिक)  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क. / बोर्ड कार्मिक / ख / अनुनि. / 727-पार्ट-1/5977

गोपाल दिनांक ११/०६/२०२१

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

सधिव, कृषि उपज मंडी समिति, ..... जिला ..... की और  
 भेजकर निर्देशित किया जाता है कि स्व. श्री / श्रीमती .....  
 पदनाम ..... के पुत्र / भाई / पुत्री / पति कुमारी / श्री / श्रीमती .....  
 ..... को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वाइत जानकारी/अभिलेख की चूटि  
 करायी जाकर संयुक्त संचालक / उप संचालक मंडी बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय .....  
 .. को पत्र जारी दिनांक से तीन दिवस में उपलब्ध करावें।

२१.६.२१  
 अपर संचालक (कार्मिक)  
 म.प्र. राज्य कृषि विषयन बोर्ड  
 गोपाल

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-12/2013/1/3

भोपाल दिनांक 28 मई, 2021

प्रति.

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र०वालियर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिला कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना" लागू किए जाने के संबंध में।

राज्य शासन एतद द्वारा उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करता है।

योजना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

मध्यप्रदेश के रूज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

3/9  
31/5/21

*B.P.A.*  
~~(रजनी प्रसाद)~~ जगद्वा

आर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3-12/2013/1/3

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2021

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एकामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्डैर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्डैर/ग्वालियर।
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेष्टि।

*fratn*  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

## मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकरण नियुक्ति योजना

### 1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आऊटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना निम्नानुसार आगे की जाएः-

### 2. उद्देश्य:-

इस योजनांतर्गत उपरोक्त प्रस्तावना में उल्लेखित सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

### 3. पात्र कर्मी :-

3.1. सर्वे के समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/ तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनका वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो ।

3.2. विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आठटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका

पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित से विकलनीय हो ।

3.3. विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएं जिनका इत प्रतिशत स्थापना व्यय खज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जाता है उनमें उपरोक्तानुसार कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे।

#### 4. पात्रता की शर्तें :-

4.1. मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जांच में (RAT/RTPCR) कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के छठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गयी हो।

4.2. मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत हो।

4.3. मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये।

4.4. उक्त योजना अंतर्गत अनुकरण नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/09/2014 की कण्ठिका 2 के अनुसार होगा।

4.5. मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकरण नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा।

4.6. दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद,

आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

4.7. यदि किसी शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

4.8. जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।

### 5. योजना की अवधि :-

यह योजना 01 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जूल 2021 तक लागू रहेगी।

(स्पष्टीकरण- अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात् परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। )

### 6. अनुकंपा नियुक्ति के पद :-

इस योजना अंतर्गत कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3(गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी

*fpat  
17/3/2021*

जाएगी जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियुक्ति  
अर्थात् -

क्र	मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार	पात्र आवृत्ति के नियोजन का प्रकार
1	नियमित	नियमित
2	कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत	कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत
3	संविदा	संविदा
4	दैनिक वेतन भोगी/ कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय	आउटसोर्स

### 7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया:-

7.1. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिणिष्ठ  
एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख जिसमें  
दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया  
जाएगा।

7.2. आवेदन मृत्यु दिनांक से 04 माह के भीतर प्रस्तुत  
करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारण से  
संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिकतम तीन  
माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे।

7.3. अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे  
आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभाग में बनाई जावगी  
एवं इसका क्रम दिवांगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित

किया जावेगा, अर्थात् जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति आव्वाण नियमों का पालन करते हुये दी जावेगी।

7.4. अनुकंपा नियुक्ति यदा संभव उसी कार्यालय वा विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था।

7.5. यदि विभाग की स्वापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर परिवार के सदस्यों को कंडिका 6 के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है तो इसके लिए सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति अधिष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरुद्ध समाप्तोजित की जावेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येत्तर पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त समझा जावेगा।

सांख्येत्तर पद निर्मित करने की अनुमति निम्न समिति द्वारा दी जाएगी:-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन                        | - अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग                           | - सदस्य   |
| 3. विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव                           | - सदस्य   |
| 4. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग - सदस्य सचिव |           |

7.6. दिवंगत सेवायुक्त के परिवर को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जानी है।

7.7. दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय

का रापथ-पत्र लिया जायगा एवं वह देवगत सेवायुक्त के पारंपरा  
अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा।

7.8. आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक  
योग्यता के आधार पर कण्डिका 8.3 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी  
द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कराया जायेगा।

### 8. प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :-

8.1. जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके  
नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने  
अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन  
के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया  
जावेगा।

जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि इस अनुमोदन देने से  
पूर्व, जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के  
समस्त प्रकरणों की समीक्षा कर लें, ताकि यथासङ्बन्ध संबंधित जिले में  
ही पात्र आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके। यदि किसी विभाग  
में उपयुक्त पद रिक्त न हो तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में  
पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति अन्य ऐसे विभाग में दी जाने के  
निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेंगे। आशा यह है कि, यह  
अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जिले में अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग में  
दी जाए जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था।

8.2. सचिवालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों  
के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे।

- 8.3. दैनिक वेतन भोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत/आऊटसोर्स/मानदेय कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को आऊटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने के लिए कलेक्टर/सक्षम विभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।
9. अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/संस्थाओं /प्राधिकरण /विश्वविद्यालयों/स्थानीयनिकायों/पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन हेतु  
 राज्य शासन के निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालयों/ स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिकवेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आऊटसोर्स सेवामुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कंडिका 8.1 के अंतर्गत कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की समय-सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

*Piyati*  
 (रजना २४ जून २०२१)

अवर सचिव  
 मध्यप्रदेश शासन  
 सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुबंध नियुक्ति बोक्ना अंतर्गत  
आवेदन पत्र का प्रारूप

आश्रित सदस्य  
वा आवेदक  
राज्य लक्षणीय

- 1 (क) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त का पूर्ण नाम \_\_\_\_\_  
 (ख) पदनाम \_\_\_\_\_  
 (ग) नियोजन का प्रकार- नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यशालित एवं अकस्मिकता से वेतन पाने वाले/  
 दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/ सेवा /ब्लॉक्टर दर/ आठटसोर्स/ झन्डे  
 (घ) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु का दिनांक \_\_\_\_\_  
 (ङ.) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत  
शासकीय सेवक/सेवायुक्त पदस्थ था,  
 2 (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम \_\_\_\_\_  
 (ख) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त से संबंध  
 (ग) स्थाई पता \_\_\_\_\_  
 (घ) वर्तमान पता \_\_\_\_\_  
 (ङ) जन्मतिथि----- अँकों में  
 शब्दों में  
 (च) आयु \_\_\_\_\_  
 (छ) धर्म \_\_\_\_\_  
 (ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या  
 अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शाये)  
 (झ) शैक्षणिक अहंताओं का विवरण \_\_\_\_\_  
 (ञ) अन्य अहंताओं का विवरण \_\_\_\_\_  
 (ट) क्या आवेदक फैमिली/परिवार पेशनर हैं, यदि हों तो \_\_\_\_\_

स.क्र.	पी.पी.ओ. क्रमांक	जिला कोषालय का नाम, जहां से प्रथम भुगतान हुआ	बैंक व्ह नाम व पता	बैंक जाता क्रमांक
1	2	3	4	5

(क) दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को  
नुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमति:-

स.क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के साथ संबंध	यदि सेवारत हो तो उसका विवरण सेवारत है शासकीय/अद्वाकीय या निजी बैंक	आवेदक को अनुकम्भा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/असहमति एवं एसडाका	टीप
1	2	3	4	5	6	7

### घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे जान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पाई जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात् अपाव्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

2. मैं यह वचन देता हूँ/देती हूँ कि, मैं स्व. श्री -----

(दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त का नाम) के आकृति परिधार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-प्रभाग करूँगा/करूँगी, बाद में किसी भी समय यदि वह प्रमाणित ही जाए कि, मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-घोषणा नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकूल्या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

स्थान:- -----

दिनांक:- -----

### आवेदक के हस्ताक्षर

- टीप:- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रायान्वित आयाप्रतियां संलग्न की जावें:-
1. दिवंगत शासकीय सेवक /सेवायुक्त का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  2. मृतक सेवक/सेवायुक्त का पहचान प्रमाण-पत्र
  3. आकृति सदस्य का पहचान प्रमाण-पत्र
  4. शैक्षणिक तथा अन्य अहलातों की अंकसूची/प्रभाग पत्र
  5. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
  6. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
  7. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े घर्ग का हो तो तदविषयक प्रमाण पत्र
  8. मृतक और आकृति सदस्य के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र
  9. प्रयोगशाला रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में कोविड-19 की पांजिट रिपोर्ट आई है।
  10. आऊटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आऊटसोर्स एजेन्सी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र
  11. कोविड-19 पाजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अधवा कोविड-19 स्वस्थ्य होने के पश्चात् किसी दीज से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र। जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो उस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसमें मृत्यु की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख हो।
  12. आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र।

## //कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण//

माणित किया जाता है कि:-

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में, दिये गये संपूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गई है।
2. आवेदक/आवेदिका ने आश्रित परिवार तथा उनके रोजगार का भी विवरण दिया है, उसका प्रमाणीकरण कर लिया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... दिनांक ..... को कोविडग्रस्त हुये तथा उनकी मृत्यु दिनांक ..... हो गई है। मृत्यु के समय वे इस कार्यालय में नियमित/स्थाईकर्मी/ कार्यभारित/आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/सर्विदा/कलेक्टर/आडटसोर्स/मानदेय के रूप में ..... पद पर कर्मसुत थे।
4. मैं पूर्ण जाँचोंपरांत इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आती है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

(जहाँ दिवंगत शास्त्रीय सेवक/सेवायुक्त कार्यरत था)

नाम -----

कार्यालय का नाम -----